सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

वैशाख 14, सोमवार, शाके 1937–मई 4, 2015

Vaisakha 14, Monday, Saka 1937-May 4, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 4, 2015

No. F. 2 (41) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 20th day of April, 2015 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 10 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 20th day of April, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In section 17 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) in the section so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that no Mandi Fee shall be leviable on fruits and vegetables. Instead, the market committee may collect user charges in respect of these articles, for the services provided by the market committee, from the buyer of the produce at such rate as may be specified in the bye-laws.".

3. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 38 of 1961.- In sub-section (1) of section 37 of the principal Act, after the existing expression "conditions of trading therein" and before the existing punctuation mark ".", the expression "and for specifying the rates of user charges leviable under the proviso to section 17" shall be inserted.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 4, 2015

संख्या प. 2 (41) विधि/2/2014.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2015 (एक्ट नं. 10 ऑफ 2015)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 10)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 17 का संशोधन.- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 में,-

(i) अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित धारा में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु फलों और सब्जियों पर कोई मण्डी फीस उद्गृहीत नहीं की जायेगी। इसके बजाय, मण्डी समिति, इन वस्तुओं के संबंध में, मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से ऐसी दर पर जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोक्ता प्रभार संगृहीत कर सकेगी।"।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "व्यापार करने की शर्तों के लिए" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-विधियां बना सकेगी।" के पूर्व अभिव्यक्ति "और धारा 17 के परन्तुक के अधीन उद्ग्रहणीय उपयोक्ता प्रभारों की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए" अन्त:स्थापित की जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

3
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।